बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
झाँसी

प्रशासकीय परिषद की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

बैठक संख्या	:	26 वीं
स्थान	:	सभागार बी0आई0ई0टी0, झाँसी।
दिनांक	:	04 फरवरी, 2019
समय	:	पूर्वान्ह 11.00 बजे

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की

प्रशासकीय परिषद की 26वीं बैठक का कार्यवृत्त

बुन्देलखण्ड अभियाँत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, झाँसी की 26 वीं बैठक आज दिनांक 04.02.2019 को पूर्वान्ह 11.00 बजे माननीय अध्यक्ष, इं0 राकेश गुप्ता, झाँसी की अध्यक्षता मे सभागार, बी0आई0ई0टी0, झाँसी मे सम्पन्न हुई।

बैठक में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :–

1.	इं0 राकेश गुप्ता 37/02, सिविल लाइन्स झाँसी।	....	अध्यक्ष
2.	श्री अवध किशोर उप सचिव प्राविधिक शिक्षा विभाग उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।	....	उपाध्यक्ष (प्रतिनिधि)
3.	श्री राम कृपाल बिन्द अपर निदेशक कोषागार एवं पेंशन झाँसी मण्डल, झाँसी।	....	सदस्य (प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, वित्त)
4.	मा0 प्रो0 विनय कुमार पाठक कुलपति डा0 ए0पी0जे0अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ।	....	सदस्य
5.	इंजी0 पी0 ए0 खरवड़कर मैनेजिंग डायरेक्टर करोना प्लस इंडस्ट्रीज कौशलपुरी, कानपुर।	....	सदस्य
6.	श्री आर0 सी0 राजपूत निदेशक प्राविधिक शिक्षा, उ0 प्र0, कानपुर।	....	सदस्य
7.	प्रो0 अकील अहमद कुलपति इन्टीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ।	....	सदस्य

8. श्री डी0 के0 दीक्षित .... सदस्य
कार्यपालक निदेशक
बी0एच0ई0एल0
झाँसी।

9. डा0 डी0 बी0 शाक्यवार .... सदस्य
प्रमुख वैज्ञानिक
आई0सी0ए0आर0
सी0एस0डब्लू0आर0आई0
अविका नगर, वाया-जयपुर
राजस्थान।

10. प्रो0 गौरी शंकर .... सदस्य
रिटायर्ड प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
बायोकैमिकल इंजी0 एवं फूड टेक्नोलाजी
एच0बी0टी0आई0,
कानपुर।

11. प्रो0 वी0 के0 त्यागी .... सदस्य सचिव
निदेशक
बी0आई0ई0टी0
झाँसी।

जो सदस्य उपस्थित न हो सके :-

1. प्रो0 अभय करन्दिकर .... सदस्य
निदेशक
आई0आई0टी0,
कानपुर।

2. प्रो0 अजीत के0 चतुर्वेदी .... सदस्य
निदेशक
आई0आई0टी0,
रुड़की।

3. प्रो0 एच0 डी0 चरन .... सदस्य
कुलपति
राजस्थान प्राविधिक विश्वविद्यालय
कोटा (राजस्थान)।

4. प्रो0 एस0 जी0 देशमुख .... सदस्य
निदेशक
आई0आई0आई0टी0,
ग्वालियर।

5. प्रो0 विनोद यादव .... सदस्य
निदेशक
एन0आई0टी0
हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)।

26.01 **प्रशासकीय परिषद की दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न हुई पच्चीसवीं बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।**

परिषद ने विचारोपरान्त प्रशासकीय परिषद की दिनांक 24.04.2018 को सम्पन्न हुई 25 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की।

26.02 **प्रशासकीय परिषद की दिनाँक 24 अप्रैल, 2018 को सम्पन्न हुई पच्चीसवीं बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण से परिषद को अवगत कराना।**

प्रशासकीय परिषद की दिनांक 24.04.2018 को सम्पन्न हुई 25 वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की कृत्त कार्यवाही से परिषद अवगत हुई।

परिषद मद संख्या 24.02 पर श्री राम आशीष विश्वकर्मा के प्रकरण पर प्रक्रियाधीन कार्यवाही से अवगत हुई तथा प्रकरण पर निदेशक स्तर से गठित की गयी समिति की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त यदि प्रकरण विनियमितीकरण सम्बंधी शासनादेश की परिधि मे आता हो तो उक्त शासनादेश के प्राविधानों के आलोक में अतिशीघ्र विनियमित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये तथा यह भी निर्देश दिया कि यदि विनियमितीकरण सम्बंधी शासनादेश के अनुपालन में कार्यवाही किये जाने मे कोई कठिनाई हो तो प्रकरण पर समस्त प्रकार की विधिक राय प्राप्त करते हुए प्रकरण को आगामी बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

26.03 **संस्थान की दिनांक 24 अप्रैल, 2018 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से परिषद को अवगत कराना।**

परिषद संस्थान की दिनांक 24.04.2018 से वर्तमान तक की प्रगति आख्या से अवगत हुई। साथ ही परिषद द्वारा आवास विकास द्वारा नव निर्मित 144 सीटेड छात्रावास का नामकरण पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी के नाम, संस्थान मे ए0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित पं0 दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अर्न्तगत मल्टी परपज हाल का नामकरण पूर्व मंत्री श्री 'दादा' बाबूराम, एम.काम के नाम से तथा संस्थान मे बने बैडमिन्टन कोर्ट (वुडन) का नामकरण महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की तथा महारानी लक्ष्मीबाई बैडमिन्टन एकेडमी बनाये जाने हेतु अपनी सहमति प्रान की।

26.04 संस्थान की प्रशासकीय परिषद द्वारा नामित किये जाने वाले प्रस्तावित सदस्यों की सूची परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने संस्थान द्वारा प्रस्तावित दो संकाय सदस्यों के नामों से प्रस्तावित प्रो० ए० के० वर्मा पर जाँच प्रक्रिया के अधीन आरोप पत्र निर्गत किये जाने के आलोक में सदस्य नामित न करते हुए निम्नलिखित दो संकाय सदस्यों को वरिष्ठता के क्रम में सोसायटी रुल्स के बिन्दु संख्या-7(X) के तहत 01 वर्ष के लिये परिषद का सदस्य नामित किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की।

क.सं.	नामित अवधि	परिषद के सदस्य के रूप में नामित किये जाने वाले संस्थान के दो प्रोफेसर
1.	01 वर्ष हेतु	प्रो० मुकेश शुक्ला सिविल इंजीनियरिंग विभाग बी० आई० ई० टी०, झाँसी।
2.		प्रो० ए० के० निगम सिविल इंजीनियरिंग विभाग बी० आई० ई० टी०, झाँसी।

26.05 संस्थान मे वर्तमान में कराये जा रहे निर्माण कार्यों, भविष्य में प्रस्तावित निर्माण कार्यों से परिषद को अवगत कराना।

परिषद संस्थान के निर्माण कार्यों से अवगत हुई तथा संस्थान मे हो रहे निर्माण कार्यो का समयबद्ध चार्ट तैयार कर निर्धारित समयावधि मे कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु निर्देशित किया।

26.06 संस्थान के छात्र-छात्राओं के प्लेसमेन्ट से सम्बंधित विस्तृत कार्य--योजना परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने छात्र-छात्राओं हेतु तैयार कार्य-योजना से अवगत होते हुए अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही परिषद ने निर्देशित किया कि, संस्थान मे छात्रों के प्लेसमेन्ट हेतु ए०के०टी०यू०, लखनऊ व अन्य संस्थानों की भाँति पूर्ण समय हेतु एक प्लेसमेन्ट एजेन्सी को हायर कर छात्रों के प्लेसमेन्ट को और अधिक बढाया जाये तथा हायर की जाने वाली प्लेसमेन्ट एजेंसी के सम्पूर्ण खर्चो को पं० दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा एवं गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम योजना से वहन किया जाये। प्लेसमेन्ट एजेंसी का संचालन संस्थान के ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट विभाग द्वारा किया जाने हेतु निर्देशित किया।

26.07 **परिषद के निर्देश के कम में भवन निर्माण समिति की सम्पन्न हुई 29वीं बैठक का कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद संस्थान की सम्पन्न हुई 29वीं भवन निर्माण समिति की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत हुई।

26.08 **संस्थान की दिनांक 10.08.2018 को सम्पन्न हुई एकेडमिक समिति की बैठक के कार्यवृत्त परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

परिषद संस्थान की सम्पन्न हुई एकेडमिक समिति की बैठक के कार्यवृत्त से अवगत हुई तथा इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संचालित एम.टेक. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पाठ्यकम तथा कैमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा संचालित एम.टेक. इनर्जी साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी पाठ्यकम मे छात्रों की कम प्रवेश क्षमता के दृष्टिगत उक्त पाठ्यकमों को आगामी सत्र 2019–2020 से बन्द किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की। साथ ही संस्थान मे एस0एफ0एस0 के अर्न्तगत संचालित पाठ्यकमों को ए0के0टी0यू0, लखनऊ की भाँति संचालित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

26.09 **विश्व बैंक सहायतित टीईक्यूआईपी–।।। सम्बंधित प्रगति आख्या परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

परिषद टीईक्यूआईपी–।।। से सम्बंधित प्रगति आख्या से अवगत हुई।

तद्कम में बिन्दु संख्या–2 पर टीईक्यूआईपी–।।। के अर्न्तगत कय किये गये कम संख्या 1 से 5 के उपकरणों/ सामानो की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। शेष कम संख्या 6 से 19 के उपकरणों/सामानों को कय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु संख्या–3, 4 एवं 5 से अवगत होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया। समन्वयक टीईक्यूआईपी–।।। द्वारा पृथक से प्रेषित की गयी सूची (कम संख्या 1 से 71) के अनुसार कय किये जाने वाले उपकरणों/ सामानों पर परिषद ने अपना अनुमादेन प्रदान किया।

26.10 संस्थान के कतिपय संकाय सदस्यों को कैरियर उन्नति योजना (कैश) के अर्न्तगत प्रोन्नति हेतु चयन समिति/ स्क्रीनिंग सह-मूल्यांकन समिति की पुर्नविचारोपरान्त प्राप्त संस्तुतियाँ परिषद के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

संस्थान के कतिपय संकाय सदस्यों को कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अर्न्तगत प्रोन्नति का लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु स्क्रीनिंग सह-मूल्यांकन समिति तथा चयन समिति की दिनांक 15.07.2018 को आहूत पुर्नविचार बैठक की संस्तुतियाँ परिषद के समक्ष प्रस्तुत की गयीं जिसके अवलोकनोपरान्त परिषद ने स्क्रीनिंग सह-मूल्यांकन समिति द्वारा 06 संकाय सदस्यों (अनुलग्नक-1) को कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अर्न्तगत प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुतियों पर स्वीकृति प्रदान की। साथ ही उक्त 06 संकाय सदस्यों मे से डा0 आर0 एन0 वर्मा पर जाँच प्रकिया के अधीन आरोप-पत्र निर्गत किये जाने के आलोक में इनको प्रोन्नति का लाभ जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद ने चयन समिति द्वारा 03 संकाय सदस्यों (अनुलग्नक-2क) को कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के अर्न्तगत प्रोन्नति का लाभ प्रदान किये जाने की संस्तुतियों पर स्वीकृति प्रदान की साथ ही उक्त 03 संकाय सदस्यों मे से डा0 आर0 एन0 वर्मा पर जाँच प्रक्रिया के अधीन आरोप-पत्र निर्गत किये जाने के आलोक में इनको प्रोन्नति का लाभ जाँच की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित किया।

परिषद ने 04 संकाय सदस्यों (अनुलग्नक-2ख) को चयन समिति द्वारा अयोग्य पाये जाने पर प्रोन्नति का लाभ प्रदान न किये जाने की संस्तुति पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।

अन्य 02 संकाय सदस्यों (अनुलग्नक-2ग) को चयन समिति ने प्लेगरिजम के आरोप के आलोक मे प्रशासकीय परिषद द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त होने तक इन्हें प्रदान किये जाने वाले प्रोन्नति के लाभ के प्रकरण को स्थगित रखने की संस्तुति की है। जिस पर परिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की। चयन समिति की उक्त संस्तुति के क्रम में परिषद द्वारा उक्त संकाय सदस्यों के प्लेगरिजम की जाँच हेतु एक पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया जिसमें दो-दो सदस्य सम्बंधित विषय के विशेषज्ञ एवं एक सदस्य विधिक प्रकोष्ठ से शामिल किया गया। परिषद द्वारा गठित समिति का स्वरुप निम्नवत् है-

1.	प्रो0 योगेश सिंह, कुलपति, डी.टी.यू., नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	प्रो0 प्रवीन चन्द्रा, गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
3.	प्रो0. एम0 के0 दत्ता, सेन्टर आफ एडवांस स्टडीज, ए0के0टी0यू0, लखनऊ	सदस्य
4	प्रो0 नीलम श्रीवास्तव, निदेशक, रा0ई0का0, कन्नौज।	सदस्य
5.	श्रीमती अदिति त्रिपाठी, ला–आफीसर, ए0के0टी0यू0, लखनऊ	सदस्य

परिषद द्वारा उपरोक्त समिति से सम्बंधित संकाय सदस्यों के प्लेगरिजम सम्बंधी प्रकरणों का परीक्षण/ जाँच कर अपनी स्पष्ट संस्तुति समयान्र्तगत कराते हुए कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

26.11 **डा0 हरविन्दर सिंह(सेवा निवृत) तत्कालीन निदेशक बी.आई.ई.टी., झाँसी की वित्तीय देनदारी एवं प्रशासनिक दायित्वों के सन्दर्भ में के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर द्वारा प्रेषित जाँच आख्या एवं आरोप–पत्र परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

डा0 सिंह की वित्तीय देनदारी एवं प्रशासकीय दायित्वों के संदर्भ में के0एन0आई0टी0, सुल्तानपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण से अवलोकित होते हुए परिषद ने अपना अनुमोदन प्रदान किया।

26.12 **संस्थान स्थापना हेतु ग्राम कोछाभाँवर की अधिग्रहीत भूमि के भूस्वामियों को मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपलब्ध कराये जाने वाली धनराशि को शासन से अवमुक्त कराये जाने सम्बंधी प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।**

परिषद ने मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशि को शासन से अवमुक्त कराये जाने के प्रस्ताव पर विधिक राय के कम में मा0 उच्च न्यायालय में अपील हेतु अपनी सहमति प्रदान की। तथा संस्थान के रजिस्ट्रार को व्यक्तिगत रूप से प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

साथ ही संस्थान के न्यायालय सम्बंधी प्रकरणों पर निदेशक को निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत करते हुए सम्बंधित प्रकरण को परिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया।

26.13 संस्थान परिसर पर नगर निगम, झाँसी द्वारा सम्पत्ति कर (गृहकर) हेतु निर्धारित की गयी धनराशि को शासन से अवमुक्त कराये जाने सम्बंधी प्रस्ताव परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने सम्बंधित प्रकरण पर यथाशीघ्र नगर निगम से सम्पर्क कर संस्थान द्वारा गृहकर के आगणन हेतु स्वकर निर्धारण समिति के माध्यम से प्रस्तुत आंगणन को संशोधित कराकर वांक्षित धनराशि हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु संस्थान के कुलसचिव को शीघ्र सम्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

साथ ही परिषद ने शासन से संस्थान के गृहकर को माफ कराये जाने सम्बंधी प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

26.14 ऐ0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित पंडित दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कार्यो के विवरण परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ऐ0के0टी0यू0, लखनऊ द्वारा वित्त पोषित पंडित दीन दयाल उपाध्याय तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत संस्थान के विकास एवं सुदृढीकरण कार्यो के प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों से अवगत हुई तथा अनुमोदन प्रदान किया। तथा समन्वयक, डी.डी.यू. द्वारा पृथक से उपलब्ध करायी गयी कार्यो की अद्यतन स्थिति के विवरण से भी परिषद ने अवगत होते अनुमोदन प्रदान किया।

26.15 डा0 संतोष कुमार साहू द्वारा अतिरिक्त उपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश का प्रकरण परिषद के विचारार्थ/ निर्णयार्थ प्रस्तुत।

परिषद द्वारा डा0 संतोष कुमार साहू द्वारा अतिरिक्त अपभोग किये गये अवैतनिक असाधारण अवकाश की स्वीकृति पर असहमति प्रदान करते हुए उक्त अवधि को एल.डब्लू.पी. के रूप मे स्वीकृति किये जाने पर सहमति प्रदान की। साथ ही इनकी वर्तमान कार्य प्रणाली को देखते हुए निदेशक को कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु भी निर्देशित किया।

26.16 प्रो0 अभय कुमार वर्मा व डा0 रघुनाथ वर्मा द्वारा की गयी अनियमितताओं हेतु जारी किये जाने वाले आरोप–पत्र का प्रारूप परिषद के अवलोकनार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

परिषद ने दोनों संकाय सदस्यों को जारी किये जाने वाले आरोप–पत्रों के प्रारूपों का अवलोकन किया तथा उक्त आरोप–पत्रों को सम्बंधित को जारी किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया।

26.17 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से किसी अन्य विषय पर विचार एवं स्वीकृति।

1. प्रो0 जे0 पी0 सैनी को नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी, गर्वन्मेन्ट आफ एन.सी.टी., नई दिल्ली मे निदेशक के पद पर कार्य करने हेतु (वर्तमान में एन.एस. यू.टी., नई दिल्ली) स्वीकृत किये गये 03 वर्ष के अवैतनिक असाधारण अवकाश के क्रम में 02 वर्ष के अतिरिक्त अवैतनिक असाधारण अवकाश को स्वीकृत किये जाने के प्रकरण पर परिषद ने अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद को अधिकृत किया।

2. परिषद ने संस्थान के समस्त शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही किये जाने हेतु अतिशीघ्र विज्ञापन जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया। तथा रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही राज्य के सभी अन्य शासकीय अनुदानित इंजीनिरिंग कालेजों के साथ भरे जाने हेतु सम्यक प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया।

3. संस्थान मे कार्यरत शिक्षणेत्तर कार्मिकों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन एवं एरियर के भुगतान पर अपनी सहमति प्रदान की।

4. संस्थान मे बाह्य एजेंसियों द्वारा टेस्टिंग एवं रिसर्च प्रयोगशाला की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया।

5. संस्थान मे छात्र–छात्राओं एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के युवा प्रतिभावान युवक एवं युवतियों को तराशने हेतु एवं संस्थान मे निर्मित वुडन कोर्ट के अनुकूलतम उपयोग तथा आर्थिक संशाधन बढाये जाने के लिए एक बैडमिन्टन

एकेडमी स्थापित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की। उक्त एकेडमी को पी.पी.पी. माडल के माध्यम से संचालित किये जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर सहमति प्रदान की।

6. संस्थान मे विद्युत व्यय भार को कम किये जाने हेतु सोलर सिस्टम की स्थापना के सम्बंध में नेडा से सम्पर्क कर प्राथमिकता के साथ कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

7. परिषद ने संस्थान के संशोधित विजन-मिशन पर अपनी सहमति प्रदान की।

8. संस्थान के उपयोग हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन रखने के लिये परिषद ने सहमति व्यक्त करते हुए उक्त से सम्बंधित प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्देश दिया।

बैठक अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।

05/03/19

(प्रो० वी० के० त्यागी)
सदस्य सचिव, प्रशासकीय परिषद
एवं
निदेशक, बीआईईटी, झाँसी।

5/3/19

(इं० राकेश गुप्ता)
अध्यक्ष, प्रशासकीय परिषद
बीआईईटी, झाँसी।